अनुदान संख्या 13 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13 – DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	41803,44,00		41803,45,00	36771,84,18	-5031,60,82
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3423,40,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	31133,56,00		31133,57,00	6397,73,73	-24735,83,27
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					22593,47,34

टीका और टिप्पणियां

Notes and Comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	78991.00	89835.05	80315.73	-9519.32
पु.	R.	10844.05			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	1535000.00	1637416.00	1486557.22	-150858.78
पु.	R.	102416.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	93257.00	..	..	..
पु.	R.	-93257.00			
मुख्य शीर्ष "3275" अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	2472687.00	2110343.85	2109901.13	-442.72
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-362344.15			

(I) ₹538677.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹538577.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹538677.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹538577.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"–

(A) Major Head "2552" –

(क) "अन्य संचार सेवाएं – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति – अन्य संचार सेवाएं – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹90000.00 लाख; और

(a) "Other Communication Services – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation – Other Communication Services- Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – ₹90000.00 lakhs; and

(ख) "अन्य व्यय – टेलिमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹3257.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275"–

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹74700.00 लाख – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा कार्य आरंभ न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा संबंधित कार्यकलाप आयोजित करना'' – ₹3220.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय – 4जी स्पेक्ट्रम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए अनुदान'' – ₹367400.00 लाख – स्कीम स्थगित किए जाने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने की वजह से हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सम्बद्ध कार्यालय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(b) "Other Expenditure – Centre for Development of Telematics" – ₹3257.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3275" –

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – ₹74700.00 lakhs – due to non-commencement of operation by Universal Service Obligation Fund and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "International Co-operation – Organising International Conferences and related activities in India" – ₹3220.00 lakhs – due to non-organising of International Conference owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Other Expenditure – Grant for GST on 4G Spectrum" – ₹367400.00 lakhs – due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to postponement of the scheme.

(II) Under Major Head "3451" – "Attached Offices" - savings occurred under the following heads:-

(का) "दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र'' – ₹1674.81 लाख की बचत (₹4807.00 लाख के प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Telecommunications Engineering Centre" – saving of ₹1674.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4807.00 lakhs);

(खा) "सतर्कता टेलीकोम मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ''– ₹2333.24 लाख की बचत (₹22787.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - saving of ₹2333.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22787.00 lakhs) ;

(गा) "संचार लेखा कार्यालय नियंत्रक'' – ₹2148.57 लाख की बचत (₹20500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Controller of Communication Accounts Offices" - saving of ₹2148.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20500.00 lakhs);

(घा) "केन्द्रीय मॉनिटरिंग प्रणाली – संचालन और अनुरक्षण'' – ₹980.38 लाख की बचत (₹3937.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) "Central Monitoring System – Operation and Maintenance" - saving of ₹980.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3937.00 lakhs); and

(ड.) नीति अनुसंधान, नवाचार तथा प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी)'' – ₹1392.45 लाख की बचत (₹3073.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई)।

(E) "National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT)" - saving of ₹1392.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3073.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन एवं भत्तों, अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आावश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to requirement of less funds towards pay & allowances, other establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2071'' – "सिविल'' के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(III) Under Major Head "2071" – "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(का) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन'' – ₹15258.12 लाख की बचत (₹101600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" – saving of ₹15258.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹101600.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(खा) "उपदान – साधारण पेंशन'' – ₹230729.00 लाख की बचत (₹463300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions" – saving of ₹230729.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹463300.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pensionary charges and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3275''के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "आरक्षित निधि को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण'' – ₹70000.00 लाख की बचत (₹900000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "प्रौद्योगिकी विकास तथा निवेश संवर्धन" – ₹603.69 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण'' – ₹800.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्राक्कलन में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "प्रशिक्षण – ₹837.36 लाख की बचत (₹1182.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "आईटीएस/बीडब्ल्यूएस अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹1324.94 लाख की बचत (₹1421.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3275" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Transfer to Reserve Fund – Transfer to Universal Service Obligation Fund" – saving of ₹70000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Technology Development and Investment Promotion" - saving of ₹603.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards other administrative expenses.

(b) "Telecom Regulatory Authority of India" - saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Training" – saving of ₹837.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1182.00 lakhs); and

(d) "Training to ITS/BWS Officers" - saving of ₹1324.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1421.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to conduction of less training programmes owing to COVID-19 pandemic.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹637.95 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 25 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10687.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष "3275" – "अन्य व्यय – टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र" – के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10686.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सम्बद्ध कार्यालय – निदेशालय" – ₹10569.94 लाख का अधिक व्यय (₹19905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा भत्तों, अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा पूर्व कर्मचारियों तथा टेलीफोन परामर्शदायी समिति के सदस्यों को मुहैया कराई गई टेलीफोन सुविधा के संबंध में एमटीएनएल पर लंबित देयों के निपटान के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" –

(क) "अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन" – ₹81194.75 लाख का अधिक व्यय (₹849675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹116328.27 लाख का अधिक व्यय (₹116000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक दावे प्राप्त होने के कारण पेंशन प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(V) Under two heads savings of ₹637.95 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 18 percent and 25 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹10687.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "3275"-"Other Expenditure – Centre for Development of Telematics". Actual excess, however, was ₹10686.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "3451" – "Attached Offices – Directorate" – excess of ₹10569.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19905.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay & allowances, other establishment related expenses and clearance of pending liabilities towards MTNL regarding telecom facility provided to ex-employees and members of Telephone Advisory Committee.

(B) Major Head "2071 – Civil" –

(a) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – excess of ₹81194.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹849675.00 lakhs); and

(b) "Family Pensions – Family Pensions" – excess of ₹116328.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹116000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards pensionary charges owing to receipt of more claims.

(C) Major Head "3275" –

(क) "सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹93627.61 लाख का अधिक व्यय (₹696600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और भारत नेट परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹1072.39 लाख की बचत (₹38700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत नेट परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय" –

(i) "आईटीआई बैंगलौर" – ₹3499.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सांविधिक देयों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले बीएसएनएल तथा एमटीएनएल कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भुगतान" – ₹47340.33 लाख का अधिक व्यय (₹300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के संबंध में अधिक दावे प्राप्त होने और उनकी लंबित देयताओं को निपटाने के कारण हुआ।

(a) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation – Compensation to Service Providers" – excess of ₹93627.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹696600.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards Bharat Net Project.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – saving of ₹1072.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Bharat Net Project.

(c) "Other Expenditure" –

(i) "ITI Bangalore" - excess of ₹3499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards payment of statutory dues.

(ii) "Incremental Pension Payment to voluntarily Retiring BSNL and MTNL Employees" – excess of ₹47340.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300000.00 lakhs) was due to receipt of more claims and clearance of pending liabilities towards BSNL and MTNL voluntarily retired employees.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1034.80 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 140 प्रतिशत था।

(III) Under three heads excess of ₹1034.80 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 140 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	52000.00	..	..	..
पु.	R.	-52000.00			
मुख्य शीर्ष "4859" दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4859" Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	8000.00	7156.30	7156.30	..
पु.	R.	-843.70			
मुख्य शीर्ष "5275" अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	3053356.00	846853.36	632617.43	-214235.93
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-2206503.64			

(I) ₹2094503.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹2094500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹52000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" –

(क) "अन्य उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश – बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी हेतु पूंजी का आधान'' – ₹2041000.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण 4जी मशीनरी और उपकरणों की अधिप्रापति के लिए निविदा की अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र'' – ₹1500.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण खरीद आदेश रद्द किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(II) "मुख्य शीर्ष "4859" – "दूरसंचार – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत – ₹843.70 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5275" "अन्य व्यय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(I) Provision of ₹2094503.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹2094500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on Other Communication Services – Other Expenditure – OFC based network for Defence Services" – ₹52000.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "5275" –

(a) "Investments in Public Sector and other Undertakings – Capital Infusion for 4G Spectrum for BSNL and MTNL" – ₹2041000.00 lakhs – due to delay in finalization of tender for procurement of 4G machinery and equipment owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Other Expenditure – Telecom Testing and Security Certification Centre" – ₹1500.00 lakhs - due to cancellation of purchase orders owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "4859" – "Telecommunications – Investment in Public Sector and other Undertakings" – saving of ₹843.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "5275" – "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वायरलैस सैट तथा उपकरण" – ₹1785.48 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹0.35 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2000.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 के कारण कम मशीनरी और उपकरणों की अधिप्रप्ति के कारण हुई।

(खा) "रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹374016.69 लाख की बचत (₹988000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना सर्किलों से कम दावे/बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान'' – ₹2536.05 लाख की बचत (₹5397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानकी तुलना में) सिविल प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय भवन को पूरा करने में देरी करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पोंस टीम" – ₹700.00 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी अवसंरचना के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹259.09 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 85 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय – स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹1019.66 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपक्रमों की अधिप्रापति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधिः–

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर

(A) "Wireless Sets and Equipments" - saving of ₹1785.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2000.35 lakhs including token supplementary grant of ₹0.35 lakh obtained in March, 2022) was due to procurement of less machinery and equipment owing to COVID-19 pandemic.

(B) "OFC Based network for Defence Services" – saving of ₹374016.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹988000.00 lakhs) was due to receipt of less claims/bills from the Project Circles.

(C) "Training Institute for Communication Finance" – saving of ₹2536.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5397.00 lakhs) was due to delay in completion of office building for training institute by civil wing and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "Telecom Computer Emergency Response Team" – saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards technical infrastructure and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under one heads saving of ₹259.09 lakhs occurred constituting 85 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5275" – "Other Expenditure – Indigenous 5G Test Bed" – excess of ₹1019.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards procurement of machinery and equipment.

5. Telecom Regulatory Authority of India General Fund: -

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 enacted on 28th March 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI

गुणवत्ता और सामर्थ्य योग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The Grants for TRAI is made by the Central Government.

वर्ष 2021–22 की निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	48,43,70
प्राप्तियां	Receipts	206,75,09
अदायगियां	Payments	205,00,00
अंतशेष	Closing Balance	50,18,79

6. विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि:–

नई दूरसंचार नीति 99 में सभी को सामर्थ्य योग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जो कि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवादायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

6. Universal Service Obligation Fund :-

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

वर्ष 2021–22 की निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	8300,00,00
अदायगियां	Payments	8300,00,00
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL